

## अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/सूक्ष्मछ को निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व दिवा नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का दिवा (व्यापिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की दिवती में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

फाल खिड़की केवल आवासीय प्रयोजनार्थ  
कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 683 दिनांक 21/08/2020

पार्थसारथी राजेन्द्र बाजना S/O श्री शान्तिजन बाजना एवं

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2008

पारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 33201/- पमा

जारीये रसीद संख्या 9069/2439, 2440

दिनांक 21/08/2020 को जमा करा दी है ।

श्रीमती नमीता बाजना w/o श्री राजेन्द्र  
 जालम निगम के पास

21/8/2020

सहायक नगर निर्माजके  
 नगर निगम, जोधपुर

MP  
 21/8/2020

प्री+1  
 आवासीय